

क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 29

/ उमरिया, दिनांक / 04/01/21

प्रति

मुख्य वनसंरक्षक

वनवृत्त शहडोल (म0प्र0)

विषय: उमरिया जिले में करनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.841 हे0 (आनलाईन आवेदित 0.992 हे0) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित शहडोल को उपयोग पर देने बावत्। प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/39770/2019)

संदर्भ: अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के: पत्र क्र0 / एफ-5 / 960 / 2020 / 10-11 / 3476 दिनांक 13.10.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त परियोजना में प्रभावित वनभूमि 0.841 हे0 (आनलाईन आवेदित 0.992 हे0) में प्रभावित हो रहे 290 वृक्षों के विरुद्ध 10 गुना 2900 वृक्षों की 11 वर्षीय वनीकरण योजना, वन परिक्षेत्र चंदिया के कक्ष क्र0 पी0 67 रकबा 5.000 हे0 वर्ष 2020-21 से 2030-31 तक की योजना राशि रुपये 35,24,700 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त शहडोल के आदेश क्र0 / 353 दिनांक 23.12.2020 द्वारा प्रदान की गई हैं। प्रकरण की आनलाईन भाग-2 में पूर्ति कर प्रस्ताव 2 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

/ उमरिया, दिनांक / 04/01/21

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 30

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महा प्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई 92/1, प्रेमनगर होटल सत्यम के सामने, गुप्तेश्वर वार्ड जबलपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)